रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2051] दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4 2010/आश्विन 12, 1932
No. 2051] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2010/ASVINA 12, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2411(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 अक्तूबर, 2010 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसको और जिससे ही उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के उपबंध नीचे उल्लिखित उन संगठनों को, जो सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सोसायटियां और कानूनी संगठन हैं, पर लागू होंगे और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 2 मई, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 202 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

क्र. सं.	निगम/सोसायटी/अन्य प्राधिकरण का नाम	स्थिति
203	जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय/संगठन ।
204	भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ.)	कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत पंजीकृत) ।

[फा. सं. पी.-13030/1/2009-ए.टी.]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 2 मई, 1986 को सा.का.नि. 730(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए:—

(1) सा.का.नि. 1172(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 1986

(2) सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987

(3) सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1987

(4) सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 11 जुलाई, 1995
(5) सा.का.नि. 748(अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 1998
(6) सा.का.नि. 8(अ), दिनांक 4 जनवरी, 2002
(7) सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2006
(8) का.आ. 1228(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2007
(9) का.आ. 1823(अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 2007
(10) का.आ. 906(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008
(11) का.आ. 2580(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2008
(12) का.आ. 2824(अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 2008
(13) का.आ. 277(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2010

S.O. 2411 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 18th day of October, 2010 as the date on and &om which the provisions of sub-section (3) of Section 14 of the said Act shall apply to the organisations mentioned below, being the societies and statutory organisations owned or controlled by the Government and makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) number G.S.R. 730 (E), datedthe 2nd May, 1986, namely: —

In the Schedule to the said notification, after serial number 202 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Name of the Corporation /Society/Other Authority	Status
203	Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry	Autonomous Body/Organisation under the Ministry of Health and Family Welfare
204	India Trade Promotion Organisation (ITPO)	Registered under the Companies Act, 1956 (1of 1956).

[F. No. P-13030/1/2009-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Note : The Principal notification was published in the Gazette of lndiavide number G.S.R. 730(E), dated the 2nd May, I986 and subsequently amended *vide* following notifications numbers: —

(1) G.S.R. 1172(E), datedthe 31st October, 1986,
(2) G.S.R. 84(E), dated the 6th February, 1987,
(3) G.S.R. 409(E), datedthe 20th April, 1987,
(4) G.S.R. 542(E), dated the I 1th July, 1995,
(5) G.S.R. 748(E), dated the 17th December, 1998,
(6) G.S.R. 8(E), dated the 4th January, 2002,
(7) G.S.R.499(E), dated the 23rd August, 2006,
(8) S.O. 1228(E), dated the 25th day of July, 2007,
(9) S.O. 1823(E), dated the 25th day of October, 2007,
(10) S.O. 906(E), dated the 22nd day of April, 2008,
(11) S.O. 2580(E), datedthe 31st day of October, 2008,
(12) S.O. 2824(E), dated the 1st day of December, 2008 and
(13) S.O. 727(E), datedthe 31st March, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road. Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.